आउटकम बजट 2021–22

सहकारिता विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0–2,1 एवं 15

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले बजट		1.04.2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2021–22		आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					राजस्व	पूँजीगत	
1	निदेशन तथा प्रशासन–03	अधिष्ठान व्यवस्था	3683.24	–	रू0 2752.63 लाख धनराशि वेतन आदि में व्यय	रू0 3436.50 लाख धनराशि वेतन व कार्यालय सम्बन्धी अनुमन्य व्यय किया जाना है।	विभाग में स्वीकृत 612 पदों के सापेक्ष कार्यरत 426 विभागीय अधिकारियों /कर्मचारियों के वेतन आदि का भुगतान व कार्यालय सम्बन्धी समस्त अनुमन्य व्ययों का भुगतान करना	प्रति वर्ष	विभागीय कार्यों एवं योजनाओं के सफल संचालन के फलस्वरूप सहकारी संस्थाओं के कार्यकलापों से राज्य की जनता/कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा। जिससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर में विशेष सुधार आयेगा।		
2.	निदेशन तथा प्रशासन–05	अधिष्ठान व्यवस्था	120.90	–	रू 85.60लाख धनराशि वेतन आदि में व्यय	रू0 123.40 लाख की धनराशि वेतन वकार्यालयसम्बन्धी अनुमन्य व्यय किया जाना है।	सहकारी न्यायाधिकरंण में न्यायाधीश, सदस्यों तथा न्यायाधिकरंण के अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि एवं अन्य सभी अनुमन्य कार्यालय सम्बन्धी व्ययों का भुगतान करना	प्रति वर्ष	सहकारी न्यायाधिकरंण उत्तराखण्ड सहकारी अधिनियम 2003 के अनुसार गठित सहकारिता विभाग के आदेशों एवं निर्णयों के क्रम में प्राप्त अपीलों की सुनवाई से अपीलार्थियों को सुलभ न्याय प्राप्त होगा।		वार्षिक

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0–2,1 एवं 15
(धनराशि लाख रू0 में)

क0 सं0	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले बजट		1.04.2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2021–22		आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					राजस्व	पूँजीगत	
3	निदेशन तथा प्रशासन–06	अधिष्ठान व्यवस्था	70.80	–	रू 46.95 धनराशि वेतन आदि में व्यय	रू0 90.89 लाख की धनराशि वेतन व कार्यालयसम्बन्धी अनुमन्य व्यय किया जाना है।	सहकारी निर्वाचन प्राधिकरंण में शासन द्वारा नामित सदस्यों एवं कार्यालय कर्मचारियेां के वेतन/ कार्यालय सम्बन्धी समस्त अनुमन्य व्ययों का भुगतान करना है।	प्रति वर्ष	भारत का संविधान 97वें संशोधन के अनुसार गठित निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा राज्य में निर्वाचन योग्य सहकारी संस्थाओं के नियमित निर्वाचन के फलस्वरूप सस्थाओं में प्रजातान्त्रिक प्रबन्ध कमेटी का निर्वाचन किया जायेगा।		वार्षिक
4	निदेशन तथा प्रशासन–07	राज्य सहकारी परिषद के संचालन हेतु	26.50	–	26.50 लाख धनराशि उक्त योजनान्तर्गत व्यय की गयी है।	रू0 26.50 लाख की धनराशि व्यय की जानी है।	सहकारी विकास की नई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सहकारी मेले सहकारी गोष्ठियां एवं प्रकाशन आदि से सहकारिता का प्रचार प्रसार किया जायेगा, जिससे कृषकों एवं समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को मेलों एवं प्रदर्शनी के माध्यम से स्थानीय उपजों का बाजार उपलब्ध कराया जायेगा।	प्रति वर्ष	उत्तराखण्ड सहकारिता अधिनियम 2003 के अन्तर्गत गठित परिषद द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सहकारिता द्वारा रोजगार परक पहल में स्थानीय स्तर पर सहकारी मेले एवं सहकारी प्रदर्शनियां आयोजित करने से स्थानीय उपज की बिक्री हेतु सामूहिक बाजार उपलब्ध कराने पर क्षेत्रवासियों को परिवहन पर बचत एवं अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा।		वार्षिक
राज्य योजनाः–											
1	सहकारी प्रशिक्षंण केन्द्र के संचालन	विभागीय कर्मचारियों को	10.00	–	4.78 लाख प्रशिक्षण में व्यय किया गया	विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षण	विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विभाग के क्रियाकलापों में दक्षता प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22	प्रति वर्ष	प्रशिक्षित विभागीय कर्मचारियों द्वारा विभागीय कार्यो एवं नीतियों के परिपालन में तत्परता एवं पारदर्शिता		वार्षिक

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0–2,1 एवं 15
(धनराशि लाख रू0 में)

क0 सं0	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले बजट		1.04.2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2021–22		आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					राजस्व	पूँजीगत	
	हेतु अनुदान	प्रशिक्षित करना				दिया जायेगा	में 50 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर लगभग 2000 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे उनकी कार्यकुशलता में बृद्धि होगी।		आयेगी। संस्थाओं के नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण से संस्थाओं की कार्यकुशलता में वृद्वि होगी जिसका स्पष्ट लाभ जनता को मिलेगा।		
2	पर्वतीय क्षेत्र में उर्वरक पर राज सहायता	उर्वरक आपूर्ति हेतु परिवहन अनुदान	125.00	–	100.00 लाख उर्वरक वितरण पर परिवहन अनुदान दिया गया	69202 मै0टन उर्वरक वितरण किया गया है।	प्रदेश के कृषकों को कम दर पर 205100.00 मै0टन उर्वरक पर परिवहन अनुदान उपलब्ध कराया जाना है।	प्रति वर्ष	उत्तराखण्ड के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में समान दर पर उर्वरक विक्रय हेतु समिति बिक्री केन्द्रो तक उर्वरक आपूर्ति के परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति के पश्चात प्रदेश के लगभग 210000 कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा।		वार्षिक
3	मिनी बैंक निक्षेप गारन्टी योजना(कारपस फण्ड)	मिनी बैंकों/ ग्रामीण बचत केन्द्रों को हानि की प्रतिपूर्ति करना	20.00	–	रू0 10.00 लाख ग्रामीण बचत केन्द्रों हेतु समस्त बैंकों का आवंटन किया गया।	समस्त बैंकों का आवंटन किया जाना है।	प्रदेश के ग्रामीण बचत केन्द्रों में 103098 लाख रू0 की कुल जमाओं की गारण्टी हेतु 40 लाख रू0 दिया जाना प्रस्तावित हैं।	प्रति वर्ष	शासनादेश के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत ग्रामीण बचत केन्द्रों में जमा निक्षेपों की गारण्टी हेतु फ्रण्ड उपलब्ध कराने से केन्द्रों में बचत जमा करने हेतु जनता की धनराशि की सुरक्षा रहेगी।		वार्षिक

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0–2,1 एवं 15
(धनराशि लाख रू0 में)

क0 सं0	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले बजट		1.04.2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2021–22		आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					राजस्व	पूँजीगत	
4	24– दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए	4700.00		130750 लाख रू0 ऋण वितरण के सापेक्ष रू0 2700.00 लाख ब्याज की प्रतिपूर्ति की गयी	रू0 51676.00 लाख ऋण वितरण के सापेक्ष ब्याज की प्रतिपूर्ति की जानी है।	कृषकों को आर्थिक सुविधा प्रदान करते हुए उनकी कृषि उत्पादन आय को दोगुनी कर लक्ष्य को प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से ''दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना'' के अन्तर्गत रू0 3.00 लाख तक का अल्पकालीन/मध्यकालीन ऋण एवं स्वयं सहायता समूह को रू0 5.00 लाख तक ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2019 से लागू की गयी। (कृषकों, एवं स्वयं सहायता समूहों इत्यादि हेतु)	प्रतिवर्ष	''दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना'' के अन्तर्गत प्रदेश के किसानों को रू0 3.00 लाख तक काअल्पकालीन/मध्यकालीन ऋण एवं स्वयं सहायता समूहों को रू0 5.00 तक ब्याज रहित उपलब्ध कराये जाने से किसानों की आय में बढोतरी होगी।		वार्षिक
5.	राज्य समेकित विकास परियोजना के संचालन हेतु	कृषकों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से महत्वकांशी कार्यक्रम हेतु	200.00	–	निदेशालय समेकित सहकारी विकास परियोजना हेतु –	परियोजना निदेशालय के प्रशासनिक व्यय एवं कार्य संचालन हेतु	भारत सरकार के **"संकल्प से सिद्धी"** परिकल्पना की दृष्टि से, सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण एवं पूर्ण सुधारात्मक उपायों के माध्यम से महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हेतु मुख्य परियोजना निदेशक कार्यक्रम निदेशालय समेकित सहकारी विकास परियोजना हेतु	प्रतिवर्ष	सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण एवं पूर्ण सुधारात्मक उपायों के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हेतु मुख्य परियोजना निदेशक कार्यक्रम निदेशालय समेकित सहकारी विकास परियोजना हेतु परियोजना निदेशालय के प्रशासनिक व्यय एवं कार्य संचालन हेतु		वार्षिक

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0–2,1 एवं 15
(धनराशि लाख रू0 में)

क0 सं0	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले बजट		1.04.2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2021–22		आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					राजस्व	पूँजीगत	
6	उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी कल्यांण निगम के संचालन हेतु	राज्य कर्मचारियों को दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं बाजार दर से सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना	0.01	–	टोकन मनी प्राविधान किया गया	–	राज्य कर्मचारियों को दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश 13 जनपदों में निगम की शाखायें संचालित की जानी है। जिनके आधारभूत ढाँचे के विकास पर प्रस्तावित बजट **रू0 300. 00 लाख** व्यय किया जायेगा।	प्रति वर्ष	प्रत्येक जनपद में कर्मचारी कल्याण निगम की स्थापना होने पर राज्य के कर्मचारियों को सस्ती दरों पर दैनिक उपयोग की वस्तुए उपलब्ध होने से उनके उपभोग खर्च में कमी आयेगी जिससे जीवन सुधार में प्रगति होगी।		वार्षिक
7	सहकारी संस्थागत सेवामण्डल हेतु राज सहायता	संस्थागत सेवामण्डल के कार्यों का सफल संचालन	20.00	–	संस्था के संचालन हेतु रू0 15.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी	कार्यों के संचालन हेतु कर्मचारियों के वेतन भत्तों व अन्य कार्यालय सम्बन्धी व्ययों में रू0 40.00 लाख का व्यय किया जाना है।	राज्य में कार्यरत 10 जिला सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैक के स्टाफ की नियुक्ति, पदोन्नति व अन्य अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों के संचालन हेतु कर्मचारियों के वेतन भत्तों व अन्य कार्यालय सम्बन्धी व्ययों के भुगतान हेतु रू0 40.00 लाख व्यय किया जायेगा।	प्रति वर्ष	संस्थागत सेवामण्डल का कार्य सुचारू रूप से सम्पादित होने पर जिला सहकारी बैक कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति एवं अन्य सेवा सम्बन्धी मामलों का समय से निस्तारण किया जायेगा। जिससे जिला सहकारी बैंकों का सुचारू रूप से संचालन किया जा सकेगा।		स्थायी

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0–2,1 एवं 15
(धनराशि लाख रू0 में)

क0 सं0	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले बजट		1.04.2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2021–22		आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					राजस्व	पूँजीगत	
8	राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना	उत्तराखण्ड के कृषकों एवं सहकारी सदस्यों को सहकारी समितियों के साथ जोड़ने एवं उनकी गतिविधियों में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा।	–	8000.00	योजना अन्तर्गत रू0 100.00 करोड़ व्यय किया गया ।कृषकों द्वारा अदरक,गुलाब की खेती,लेमन ग्रास,सेब ,साइलेज,सआक्सीजन वेजीटेबल,मसरूम एवं मधुमक्खी पालन का कार्य किया जा रहा है।	अदरक,गुलाब की खेती,लेमन ग्रास,सेब साइलेज, आक्सीजन वेजीटेबल,मसरूम एवं मधुमक्खी पालन हेतु योजनान्तर्गत कार्यों में अधिक से अधिक कृषकों को जोडकर लाभान्वित करना	इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) से वित्त पोषण में सहायता मिलेगी, जहां प्राविधानित निधि का 80 प्रतिशत ऋण एवं 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में होगा। उत्तराखण्ड राज्य के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के द्वारा प्रदेश के कृषकों की आय दोगुनी करने हेतु एनसीडीसी द्वारा यह कार्यक्रम उत्तराखण्ड के कृषकों एवं सहकारी सदस्यों को सहकारी समितियों के साथ जोड़ने एवं उनकी गतिविधियों में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा।	परियोजना अवधि तक	उत्तराखण्ड राज्य के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के द्वारा प्रदेश के कृषकों की आय दोगुनी करने हेतु एनसीडीसी द्वारा यह कार्यक्रम उत्तराखण्ड के कृषकों एवं सहकारी सदस्यों को सहकारी समितियों के साथ जोड़ने एवं उनकी गतिविधियों में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा।		वार्षिक
9	बाढ/अतिवृष्ट के कारण ब्याज पर राज सहायता	राज्य में वर्ष 2013–14 में विनाषकारी बाढ/अतिवृष्टि से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति	0.01	–	टोकन मनी	टोकन मनी	बाढ/अतिवृष्टि से प्रभावित कृषकों के ऋण खातों में देय ब्याज समायोजन करने हेतु इस मद में टोकन मनी		बाढ/अतिवृष्टि से प्रभावित कृशकों के ऋण खातों में देय ब्याज समायोजन करने हेतु इस मद में टोकन मनी के रूप में रू0 0.01 लाख की धनराषि प्रस्तावित है।		टोकन स्वरूप
10	विभिन्न	राज्य के	300.00	–	–	–	राज्य के नागरिकों यथा कम आय वाले	प्रतिवर्ष	प्रदेश में विभिन्न जिला सहकारी		वार्षिक

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0–2,1 एवं 15
(धनराशि लाख रू0 में)

क0 सं0	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले बजट		1.04.2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2021–22		आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					राजस्व	पूँजीगत	
	जिला सहकारी बैंकों की नई शाखा खोलने हेतु अनुदान स्वरूप वित्तीय सहायता	नागरिकों यथा कम आय वाले वर्ग के लोगों को समाज के वंचित व अंतिम व्यक्ति एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषक व अकृषक सदस्यों को वित्तीय सेवायें उपलब्ध कराने हेतु					वर्ग के लोगों को समाज के वंचित व अंतिम व्यक्ति एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषक व अकृषक सदस्यों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य में 76 नई शाखायें खोलने का निर्णय लिया गया है।		बैंकों की 76 नई शाखायें खोलने हेतु अनुदान स्वरूप वित्तीय सहायता		
03,05,06 एवं योजना का योग–			**5375.02**	**8000.00**							
1	मुख्यमंत्री घस्यिारी महिला कल्याण योजना अन्तर्गत पशु आहार आपूर्ति योजना" हेतु राज्य सरकार से एक	सायलेज उत्पादन एवं विपणन सहकारी संघ लि0 देहरादून के माध्यम से संचालित –**"मुख्यमंत्री महिला धनागम पशु आहार आपूर्ति योजना"**	653.25	–	–	–	सायलेज उत्पादन एवं विपणन सहकारी संघ लि0 देहरादून के माध्यम से संचालित –**"मुख्यमंत्री महिला धनागम पशु आहार आपूर्ति योजना"** हेतु **राज्य सरकार से एक बार पूंजीगत अनुदान (One time Capital Subsidy)** के रुप में **मु0 653.25 लाख (छः करोड तिरेपन लाख पच्चीस हजार)** रु0 मात्र की धनराशि प्रस्तवित		इस योजना का उद्देश्य एक लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित करना है, जिनके द्वारा रियायती दरों पर सायलेज एवं टी0एम0आर0 फीड ब्लॉक प्राप्त कर चारा काटने के कार्य से मुक्त किया जाना है। चारा काटने में लगी हुई ग्रामीण पर्वतीय महिलाओं के कार्यबोझ, दुर्घटना सम्बन्धी परेशानियों		वार्षिक

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0–2,1 एवं 15
(धनराशि लाख रू0 में)

क0 सं0	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले बजट		1.04.2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2021–22		आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					राजस्व	पूँजीगत	
	बार पूंजीगत अनुदान	हेतु					है।		एवं अनुत्पादक श्रम से बचाव, फसल के अवशेषों और फॉरेज (Forage) को वैज्ञानिक संरक्षण द्वारा राज्य में चारे की कमी को दूर करने के लिए किसानों द्वारा पौष्टिक पशुचारे के उपयोग में वृद्धि होगी	
2	उत्तराखण्ड राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजनान्तर्गत वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में:–	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषण (ऋण) व केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारी परियोजना CSISAC (Componant-I) के अन्तर्गत अनुदान	2000.00	–	–	–	परियोनजान्तर्गत वर्ष 2020–21 हेतु प्राविधानित धनराशि मु0 10000.00 लाख रु0 मात्र के सापेक्ष 2000.00 (बीस करोड) रु0 मात्र अनुदान राशि भी एन0सी0डी0सी0 द्वारा अनुदान की राशि उत्तराखण्ड शासन को प्राप्त होनी है जिसकी मांग शासन से नयी बजट मांग के रुप मे किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक में **रू0 2000.00 लाख (रू0 बीस करोड़ मात्र)** की धनराशि प्रस्तावित है।		राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषण (ऋण) व केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारी परियोजना CSISAC (Componant-I) के अन्तर्गत राज्य की सहकारी समितियों/संस्थाओं के समुचित क्रियान्वयन, सुदृढ़ीकरण, अनुश्रवण एवं सुधारात्मक उपायों के तहत संयुक्त सहकारी कृषि उत्पादन वृद्धि कराकर मूल्य संवर्द्धन किये जाने एवं आर्थिक सुदृढ़ीकरण के माध्यम से रोजगार सृजन कर कृषको की आय दोगुना करने के उद्देश्य से राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना संचालित है।	वार्षिक
		नई मांग योग–	**2653.25**	–	–	–					

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0–2,1 एवं 15

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले बजट		1.04.2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2021–22		आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					राजस्व	पूँजीगत	
03,05,06 एवं नई मांग सहित समस्त योजनाओं का महायोग–			11929.71	8000.00							

वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुदान संख्या–18,30,31 के अन्तर्गत राजस्व मद में रू0 11929.71 लाख एवं पूँजीगत मद में रू0 8000.00 लाख कुल रू0 19929.71 लाख बजट प्राविधान किया गया है।